संख्या-006/एम.एस.सी/038[पार्ट]
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 21.08.2019

कार्यालय आदेश सं - 06/08/2019

विषय: बैंकिंग धोखाधड़ियों पर सलाहकार बोर्ड का गठन (एबीबीएफ)।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री वाई.एम. मालेगाम की अध्यक्षता में एनपीए तथा धोखाधड़ियों पर गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके मामले की समीक्षा की तथा बैंक, वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का बैंकिंग धोखाधड़ियों पर सलाहकार बोर्ड के नाम से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

2. तदनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्द्वारा बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है:

(i) डा0 टी.एम. भसीन, भूतपूर्व सीएमडी, इंडियन बैंक, भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग - अध्यक्ष

(ii) श्री मधुसूदन प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा(सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य

(iii) श्री डी.के. पाठक, भारतीय पुलिस सेवा(सेवानिवृत्त), भूतपूर्व महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य

(iv) श्री सुरेश एन. पटेल, भूतपूर्व एमडी तथा सीईओ, आंध्रा बैंक - सदस्य

3. अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल दिनांक 21.08.2019 से दो वर्षों की अवधि तक का होगा । नियुक्ति की अन्य शर्तें अनुलग्नक में दर्शाए अनुसार होंगी । (यदि नामित अध्यक्ष/सदस्य भारत सरकार, किसी भी राज्य/भारतीय संघ शासित क्षेत्र की सरकार अथवा भारत सरकार/किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश के नियंत्रणाधीन अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी, सोसायटी अथवा स्थानीय प्राधिकरणों में मासिक आय वाली नियमित नियुक्ति/लाभ का पद दिनांक 21.08.2019 को धारण किए हुए हैं तो बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति उस दिन के अनुवर्ती दिन से मानी जाएगी जिस दिन से उन्होंने उस कार्यालय/पद से कार्यभार छोड़ा है जो बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य पद के अलावा उनके पास है)।

4. संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जांच एजेंसियों जैसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष सिफारिश/संदर्भ भेजे जाने से पहले एबीबीएफ सभी बड़े धोखाधड़ी मामलों की प्रथम स्तर की जांच का कार्य करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में उधार खाते (borrowal account) में धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में बोर्ड का अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक सीमित रहेगा जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महाप्रबंधक तथा ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। सार्वजनिक

क्षेत्र के बैंक 500 मिलियन के ऊपर के सभी बड़े धोखाधड़ी मामलों को बोर्ड को भेजेंगे तथा इसकी सिफारिश/सलाह प्राप्त होने पर, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऐसे मामलों में आगे कार्रवाई करेगा।

4.1 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी बोर्ड को ऐसे कोई भी मामले भेज सकता है जिसमें संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ कोई मुद्दा/समस्या हो अथवा तकनीकी मामला हो।

4.2 ऐसे मामलों में जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्वयं पीई/आरसी द्वारा संज्ञान लेने का प्रस्ताव रखता है, उनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए [दिनांक 26.07.2018 एसओ3664[ई] द्वारा, दिनांक 26.07.2018 से यथा संशोधित] के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा तथा अत:, ऐसे मामलों को बोर्ड को नहीं भेजा जाएगा।

4.3 बोर्ड, आवधिक अंतराल पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी विश्लेषण भी कर सकता है और धोखाधड़ी से संबंधित नीति बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को इनपुट, यदि कोई हो, तो दे सकता है।

4.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजे गए किसी भी अन्य तकनीकी मामले पर भी बोर्ड सलाह दे सकता है।

5. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, परंतु बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार भारत में कहीं भी बैठक कर सकता है। पहले की तरह, भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक निधि सहित अपेक्षित सचिवीय सेवाएं, संभारतंत्र और विश्लेषणात्मक सहायता बोर्ड को प्रदान करेगा।

6. बोर्ड सामान्यतया, प्रारंभिक संदर्भ प्राप्ति के एक महीने के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रत्येक मामले में अपनी सलाह देगा। बोर्ड अपने कार्यों के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं पर स्वयं निर्णय लेगा।

7. बोर्ड, त्रैमासिक आधार पर अपने कार्य निष्पादन/गतिविधियों के बारे में आयोग/भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करता रहेगा।

(अर्चना वर्मा)
अपर सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

सेवा में

1. बैंकिंग धोखाधड़ियों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य।
2. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
3. गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य कार्यकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी।

अनुलग्नक

बैंकिंग धोखाधड़ियों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें ।

1. अवधि

नियुक्ति की अवधि दिनांक 21.08.2019 से दो वर्षों की होगी । (यदि नामित अध्यक्ष/सदस्य भारत सरकार, किसी भी राज्य/भारतीय संघ शासित क्षेत्र की सरकार अथवा भारत सरकार/किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश के नियंत्रणाधीन अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी, सोसायटी अथवा स्थानीय प्राधिकरणों में मासिक आय वाली नियमित नियुक्ति/लाभ का पद दिनांक 21.08.2019 को धारण किए हुए हैं तो बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति उस दिन के अनुवर्ती दिन से मानी जाएगी जिस दिन से उन्होंने उस कार्यालय/पद से कार्यभार छोड़ा है जो बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य पद के अलावा उनके पास है)।

2. मानदेय

अध्यक्ष को 1,25,000/- रू0 (केवल एक लाख पच्चीस हजार रू0) प्रति माह तथा सदस्यों को 1,00,000/- रू0 (केवल एक लाख रू0) प्रति माह का मानदेय मिलेगा जो कि कराधीन होगा।

3. संभारतंत्र सहायता

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पात्रता के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

- बैठक शुल्क, परिवहन अथवा दूरभाष व्यय का बोर्ड के अध्यक्ष/अन्य सदस्यों को कोई भुगतान/प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।